राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2319/2023

डॉ. अनुराधा साल्वी –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जयपुर।
4. अक्षीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलिम खान, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थिया का कथन है कि अपीलार्थिया को आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा महिला चिकित्सालय, जयपुर से सीएचसी पांचोड़ी, जिला नागौर स्थानांतरित किया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थिया ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4582/2022 में चुनौती दी है। इस अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 03.11.2022 पारित कर आलौच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 की क्रियान्विति इस आदेश के साथ स्थगित की थी कि अपीलार्थिया एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत करेगी। जिस अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आख्यात्मक आदेश पारित किया जायेगा और उसकी सम्यक सूचना अपीलार्थिया को दी जायेगी। अपीलार्थिया का कथन है कि उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थिया महिला चिकित्सालय, जयपुर में ही कार्यरत है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थिया को फरवरी, 2023 तक का वेतन प्रदान किया गया है। उसके पश्चात अपीलार्थिया का वेतन मार्च, 2023 से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है, जबकि अपीलार्थिया द्वारा अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रही है।

3. हमनें अपीलार्थिया के उपरोक्त तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं अपीलार्थिया के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थिया को माह मार्च, 2023 से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थिया को वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से वेतन आहरित कर वेतन का भुगतान करें।
5. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)